प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बजाज इण्टरनेशनल स्कूल,,
शारदानगर सहारनपुर।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/21107-21109 /2020-21 दिनांक 11/01/21

विषयः- मान्यता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/33008-10/2015-16 दिनांक 20.02.2016 द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 15 के अधीन उप नियम 4 के अधीन आपकी संस्था को कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम से अनन्तिम मान्यता दिनांक 01.04.2016 से आगामी तीन वर्ष के लिए प्रदान की गई है, के नवीनीकरण/स्थायी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास /नगर क्षेत्र सहारनपुर के पत्रांक/251/2020-21 दिनांक 08.01.2021 द्वारा कार्यालय को उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार आपके विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात उक्त विद्यालय का विगत तीन वर्षों से सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार मान्यता की शर्तों के उलंघन करने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्रस्तर 4 में विहित प्रावधानानुसार यह माना जाता है कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है।

भवदीय,

(रमेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक,(बे0) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।